निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (शo)

(सं0 पटना 544) पटना, वृहस्पतिवार, 7 मई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

16 मार्च 2015

सं0 1722—बेगुसराय जिलान्तर्गत ग्राम–दशरथपुर, पो+थाना–मंसूरचक, स्थित **श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी** पर्षद के तहत निबंधित सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसका निबंधन सं0–4131 है।

इस न्यास में महंती उत्तराधिकारी दावा हेतु पर्षदीय सुनवायी के पश्चात पर्षदीय पत्रांक–121, दिनांक 19/04/11 द्वारा महंत रामानुज दास को अधिनियम की धारा– 33 के तहत इस शर्त्त पर अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था, कि इसी बीच ''कोई आपत्तिकर्त्ता, कोई आपत्ति करेगा या दावा प्रस्तुत करेगा तो इस मामले में सुनवायी कर आदेश पारित किया जायेगा।''

इसी बीच स्थानीय लोगों ने पर्षद की बिना अनुमति से महंत रामानुज दास द्वारा न्यास की जमीन हस्तांतरण आंगणबाड़ी केन्द्र में कर देने की शिकायत की गयी तथा न्यास की सुव्यवस्था हेतु समिति गठन करने की मांग की गयी, जिसके आलोक में पर्षदीय पत्रांक–167, दिनांक 19/05/14 द्वारा महंत रामानुज दास से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसका जबाब महंत रामानुज दास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया। महंत द्वारा दिया गया जबाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, श्री अवधेश कुमार राम द्वारा भी ठाकुरबाड़ी की सम्पत्ति का दुरूपयोग होते देख अंचल पदाधिकारी को प्रधान के रूप में रख कर समिति गठन करने की मांग की गयी। फलतः न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय पत्रांक–722, दिनांक 28/08/14 द्वारा अंचल पदाधिकारी, मंसूरचक से 11 सदस्यों की नाम–पता की मांग की गयी। अचंल कार्यालय, मंसूरचक ने अपने पत्रांक–04, दिनांक 05/01/15 द्वारा प्रतिवेदन पर्षद को भेजा है। जो संचिका पर उपलब्ध है।

इस प्रकार न्यास की वर्त्तमान व्यवस्था को देखते हुये महंत रामानुज दास को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–28 (2) (h) (iii) तथा धारा–44 के विरूद्ध कार्य करने एवं अस्थायी का समय समाप्त हो जाने के कारण न्यासधारी पद से अपसारित करते हुए, अधिनियम की धारा–32 के तहत न्यास समिति का गठन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– दशरथपुर, पो+थाना– मंसूरचक, जिला– बेगुसराय** के सुचारू प्रबंधन, सुरक्षा एवं सम्यक् संचालन हेतु

अंचल पदाधिकारी, मंसूरचक द्वारा भेजे गये प्रस्तावित न्यास समिति को संशोधित करते हुए, निम्नलिखित योजना का निरूपण तथा योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए 11 सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना**, ग्राम–दशरथपुर, पो+थाना–मंसूरचक, जिला–बेगुसराय'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति**, ग्राम– दशरथपुर, पो+थाना–मंसूरचक, जिला–बेगुसराय'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

(1) अंचल पदाधिकारी, मंसूरचक, बेगुसराय	–	पदेन अध्यक्ष
(2) श्री संजय कुमार पिता– स्व0 वैद्यनाथ ईश्वर, ग्राम– दशरथपुर	–	सचिव
(3) श्री रामचन्द्र महतो पिता– स्व0 ढ़ोराय महतो, मंसूरचक	–	कोषाध्यक्ष
(4) श्री गणेश शंकर दत्त ईश्वर पिता– स्व0 रामविलाश ईश्वर, दशरथपुर	–	सदस्य
(5) श्री गौड़ीशंकर ईश्वर पिता– स्व0 जगदीश ईश्वर, दशरथपुर	–	''
(6) श्रीमति पागो देवी पति– सहदेव शर्मा, मंसूरचक	–	''
(7) श्री रंजीत कुमार महतो पिता– लड्डुलाल महतो, बहुआरा	–	''
(8) श्री राम सागर पासवान पिता– स्व0 रामधारी पासवान, दशरथपुर	–	''
(9) श्री विजय कुमार पासवान पिता– स्व0 त्रिवेणी पासवान, मंसूरचक	–	''
(10) श्री ब्रहम नारायण महतो पिता– राम बहादुर महतो, दशरथपुर	–	''
(11) श्री सिया शरण महतो पिता– स्व0 भुटटु महतो, दशरथपुर	–	''

12. उपरोक्त न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। न्यास समिति के कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समिति का कार्यकाल विस्तार किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 544-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in